न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 577/ 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर		1 किरण चारण पत्नी सुमेरसिंह चारण निवासी धनाऊ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :– 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 8/08/24

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम जसवंतपुरा (गेहूं) के खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 659 / 36 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त दोनों खसरों की भूमि मौके पर एक ही इकाई के पास–पास स्थित है तथा मूलतः एक ही खसरा संख्या 36 के भाग है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 36 में से नव सृजित राजस्व ग्राम जसवंतपुरा (गेहूं) के खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 659 / 36 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि का ऐकीकरण कर खातेदारान किरण चारण पत्नी सुमेरसिंह चारण निवासी धनाऊ के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर की बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व ग्राम जसवंतपुरा (गेहूं) के मूल खाता संख्या 36 में से नव सृजित खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 659 / 36 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि का ऐकीकरण कर खातेदार किरण चारण पत्नी सुमेरसिंह चारण निवासी धनाऊ के हिस्से में ही दर्ज का ऐकीकरण कर अप्रार्थी खातेदारान के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम जसवंतपुरा (गेहूं) के मूल खाता संख्या 36 में से नव सृजित खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 659 / 36 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं ऐकीकरण कर एकीकृत कर नव सृजित खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी खातेदार के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 68 राजस्थान भू–राजस्व अधिधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जसवंतपुरा (गेहूं) के मूल खाता संख्या 36 में से नव सृजित खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 659 / 36 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल रकबा 0. 6475 हैक्टेयर भूमि सेग्रीगेशन एवं ऐकीकरण कर नव सृजित खसरा संख्या 561 / 36 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि खातेदार किरण चारण पत्नी सुमेरसिंह चारण निवासी धनाऊ के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:43:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज तारीख 8/8/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

08/08/24

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी